(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक–535–तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–01–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–386/अपील/06–07

....

मो0 महमूद असलम पिता मो0 हफीज

निवासी–भरहुत नगर, तहसील रघुराज नगर

जिला–सतना(म0प्र0)

————अपीलार्थी

विरूद्ध

1– श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं कार्यालय

जिला–पंजीयक सतना (म0प्र0)

2– श्रीमती छाया देवी उर्फ छंगी देवी पति श्री लल्लन प्रसाद लोधी

निवासी– कृष्ण नगर कोलगवां, जिला–सतना (म0प्र0)

————प्रत्यार्थीगण

....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी

शासकीय पैनल, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क्र0 1

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01/6/2011 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47 (क) 4 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–01–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कोलगवां स्थित पटवारी हल्का नं0 98 वार्ड क्रमांक–14 नया नं0 21 सर्वे नं0 28, 4/1/3/1ख रकबा 13,94 वर्गमीटर के विवादित भूमि को क्रय कर दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां दस्तावेज में वर्णित संपत्ति को सही न मानते हुये प्रकरण स्टाम्प कलेक्टर को भेजा

गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने अपने प्रकरण क्रमांक 420/बी—105/2003—04 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2004 द्वारा प्रस्तावित संपत्ति का बाजार मूल्य 30 प्रतिशत कम कर बाजार मूल्य निर्धारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष पेश की जो प्रकरण क्रमांक 386/अपील/06—07 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 02.01.2007 द्वारा अपर आयुक्त रीवा ने प्रस्तुत अपील को सारहीन मानकर निरस्त किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया । उभयपक्ष के अभिभाषकों ने प्रकरण मे प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ प्रकरण में संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उप पंजीयक द्वारा विवादित संपत्ति का स्थल निरीक्षण किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि रीवा रोड से दक्षिण में 70 फिट की दूरी पर प्रश्नाधीन भूमि स्थित है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित मूल्य को उचित मानकर सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित किया है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प वर्तमान प्रचलित प्रश्नाधीन भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित का मुद्राक शुल्क एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित किये गये आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है और इसी आधार पर अपर आयुक्त रीवा ने कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को स्थिर रखा है। अतः अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2007 विधिनुकूल और न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन और महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,